डा0 के0के0 पाल
राज्यपाल एवं
कुलाधिपति, गो0ब0पंत कृषि एवं प्रौ0
विश्वविद्यालय, पन्तनगर।

सत्यमेव जयते

राजभवन
उत्तराखण्ड, देहरादून

संख्या– 5194 /जी0एस0/C2-4-2/शिक्षा/2017

देहरादून : दिनांक : 21 मार्च, 2017

आदेश

आदेश संख्या–2815/जी0एस0/शिक्षा/C2-4-2/2016 दिनांक 26 सितम्बर, 2016 द्वारा गो0ब0पंत कृषि एवं प्रौ0 विश्वविद्यालय में लागू उ0प्र0 कृषि एवं प्रौ0 विश्वविद्यालय अधिनियम, 1958 (यथा प्रवृत्त एवं यथा अनुकूलित उत्तराखण्ड राज्य) की धारा–11(6) के अन्तर्गत डा0 जे0 कुमार, डीन, कृषि महाविद्यालय को छः माह अथवा नियमित कुलपति की नियुक्ति होने तक, जो भी पहले हो, तक के लिए गो0ब0पंत कृषि एवं प्रौ0 विश्वविद्यालय, पन्तनगर का कुलपति नियुक्त किया गया था, जिनका छः माह का कार्यकाल दिनांक 25 मार्च, 2017 को समाप्त हो रहा है।

गोविन्द बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, पन्तनगर के नये नियमित कुलपति के चयन हेतु शासन से पैनल अभी प्राप्त नहीं हुआ है। इस प्रकार नये कुलपति के चयन की प्रक्रिया गतिमान है, जिसमें अभी समय लगने की सम्भावना है।

अतः उक्त स्थिति के दृष्टिगत गो0ब0पंत कृषि एवं प्रौ0 विश्वविद्यालय में लागू उ0प्र0 कृषि एवं प्रौ0 विश्वविद्यालय अधिनियम, 1958 (यथा प्रवृत्त एवं यथा अनुकूलित उत्तराखण्ड राज्य) की धारा–11(6)(C) के अन्तर्गत डा0 जे0 कुमार का कुलपति पद पर कार्यकाल दिनांक 26 मार्च, 2017 से अग्रेत्तर छः माह अथवा नियमित कुलपति की नियुक्ति होने तक, जो भी पहले हो, तक के लिए विस्तारित किया जाता है।

डा0 के0 के0 पाल
कुलाधिपति।

संख्या 5194 (1)/जी0एस0/C2-4-2/शिक्षा/2017, तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
2. अपर मुख्य सचिव, कृषि शिक्षा, उत्तराखण्ड शासन को विश्वविद्यालय के नये नियमित कुलपति के चयन प्रक्रिया की कार्यवाही शीघ्र प्रारम्भ करने हेतु प्रेषित।
3. अपर मुख्य सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उत्तराखण्ड शासन।
4. महानिदेशक, (मानव संसाधन विकास) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद्, कृषि भवन नई दिल्ली।
5. महालेखाकार, उत्तराखण्ड।
6. डा0 जे0 कुमार, कुलपति, गो0ब0प0 कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, पन्तनगर ऊधमसिहंनगर।
7. कम्प्यूटर प्रकोष्ठ/गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(डा0 भूपिन्दर कौर औलख)
सचिव श्री राज्यपाल।